न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/32/2026 दायर दिनांकः–09.04.2026 रजि0 न0 2026/60

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री देवीचरन शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर शर्मा द्वारा श्री भूपसिंह चौधरी, रेटा रोड, कठूमर (अलवर) –321605 (राज०)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 28.04.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 27.12.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.04.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2026/476 दिनांक 24.04.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 21.04.2025 को राज सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293335919948799 दिनांक 30.12.2025 दर्ज रजिस्टर कर, आवेदन में वांछित सूचना इस लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं होने के कारण, RTI Online Portal पत्र सं. 8637572523 दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से मूल आवेदन, राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, अलवर को अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है जिसकी सूचना अपीलार्थी को ऑनलाईन मय पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. Appeal No- RIC@ALWR@A@2024@001131 निर्णय दिनांकः 21.03.2024 एवं प्र०सं० Appeal No- RIC@ALWR@A@2024@001132 निर्णय दिनांकः 21.03.2024 बअनुवान मदनसिंह यादव बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर में पारित निर्णय के आलोक में **अपीलार्थी के संज्ञान में जानकारी होने के बावजूद भी असंगत लोक प्राधिकारी के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है,** इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर अपीलार्थी के सूचना आवेदन के संबंध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में अपील पोषणीय नहीं है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद, अलवर के स्तर पर अपेक्षित सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
7. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. लो०स०अ०/प्रथम अपील/2026/476 दिनांक 24.04.2026 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के पत्रांक . 8637572523 दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 28.04.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर